इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 98 / प्र0अ0त0स0 / जोन–1 / शमन / 2014–15 दिनांक : 23 / 09 / 2015

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अनिल कुमार गुप्ता व श्री मोहित गुप्ता द्वारा नजूल फ्री होल्ड भूखण्ड सं0–29 सिविल स्टेशन, क्लाइव रोड, सिविल लाइन्स इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल शमन मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अध्यासन/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को आवासीय उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र पत्रांक सं0 73/प्र0अ0त0स0–2/जोन–1/2014–15 दिनांक 05.12.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
7. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे, बगल, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाए, में कर देगा।
8. गृह निर्माण के समय इसका भी ख्याल रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
9. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

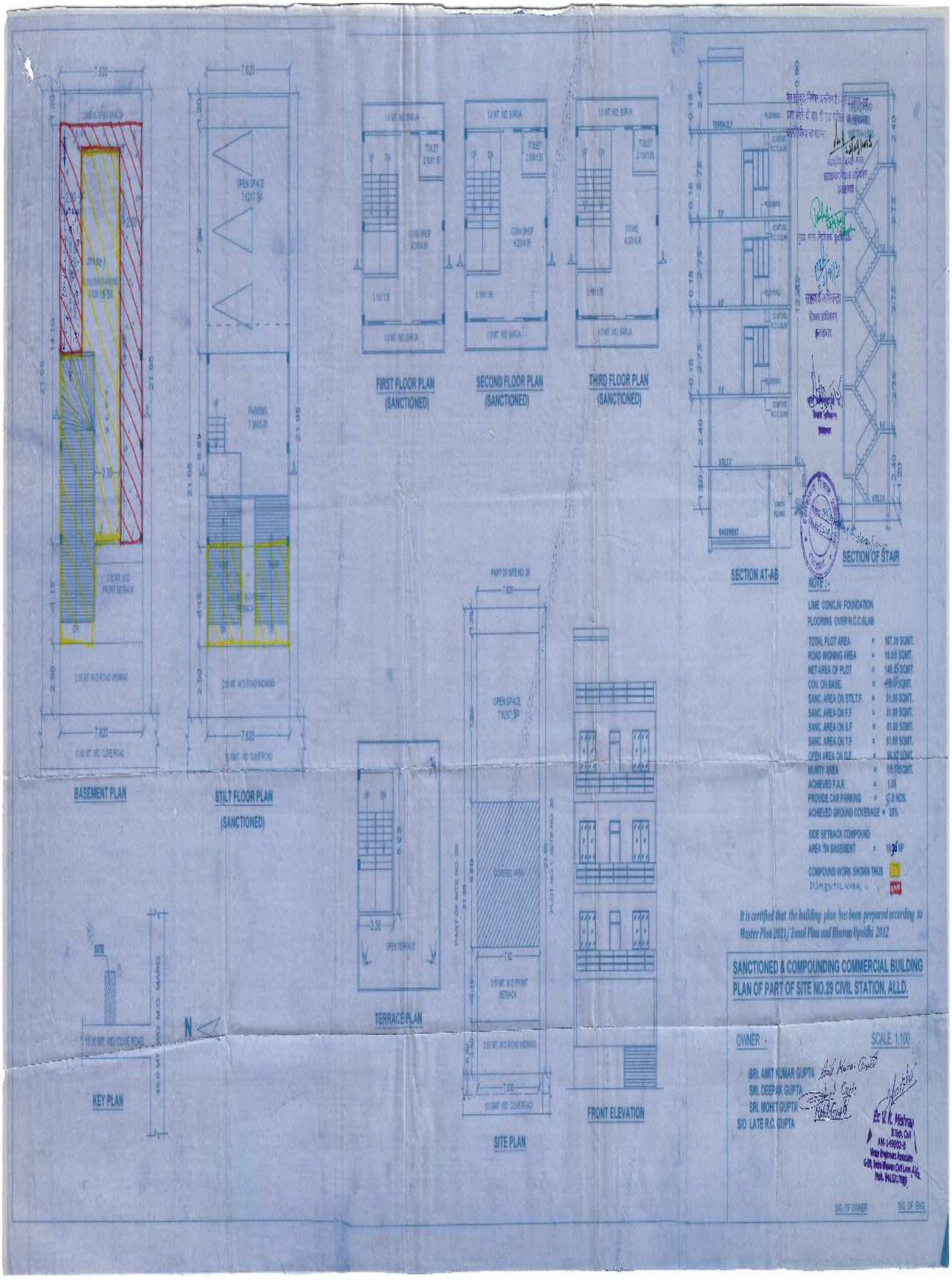

BASEMENT PLAN
STILT FLOOR PLAN (SANCTIONED)
FIRST FLOOR PLAN (SANCTIONED)
SECOND FLOOR PLAN (SANCTIONED)
THIRD FLOOR PLAN (SANCTIONED)
SECTION AT-AB
SECTION OF STAIR
TERRACE PLAN
SITE PLAN
FRONT ELEVATION
KEY PLAN
NOTE :-
LIME CONC.IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C.SLAB
TOTAL PLOT AREA = 167.30 SQMT.
ROAD WIDNING AREA = 19.05 SQMT.
NET AREA OF PLOT = 148.25 SQMT.
COV. ON BASE. = 48.15 SQMT.
SANC. AREA ON STILT.F. = 51.88 SQMT.
SANC. AREA ON F.F = 51.88 SQMT.
SANC. AREA ON S.F = 51.88 SQMT.
SANC. AREA ON T.F = 51.88 SQMT.
OPEN AREA ON G.F = 96.37 SQMT.
MUMTY AREA = 15.95 SQMT.
ACHIEVED F.A.R = 1.06
PROVIDE CAR PARKING = 5.0 NOS.
ACHIEVED GROUND COVERAGE = 35%
SIDE SETBACK COMPOUND AREA ON BASEMENT = 10.36 M²
COMPOUND WORK SHOWN THUS
DISMENTIL WORK
It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2012
SANCTIONED & COMPOUNDING COMMERCIAL BUILDING PLAN OF PART OF SITE NO.29 CIVIL STATION, ALLD.
OWNER :-
SCALE 1:100
SRI. AMIT KUMAR GUPTA
SRI. DEEPAK GUPTA
SRI. MOHIT GUPTA
S/O LATE R.C. GUPTA
SIG. OF OWNER
SIG. OF ENG.